प्राधिकरण की 96वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.06.2019 की कार्यवाही

आज दिनांक 24.06.2019 को मसरूी देहरादून विकास प्राधिकरण की 96वी बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बी0 वी0 आर0सी0 पुरूषोत्तम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः—

1.	श्री बी0वी0आर0सी0पुरूषोत्तम, आयुक्त गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री विनय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम	सदस्य
3.	डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।	सदस्य
4.	श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव वित्त	सदस्य
5.	श्री राजेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव आवास	सदस्य
6	श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी, प्रतिनिधि जिलाधिकारी	सदस्य
7	श्री एस0के0पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एव ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
8.	श्री एल0एम0 कर्नाटक अधीक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड, पेयजल निगम, देहरादून	सदस्य

सर्वप्रथम सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। प्राधिकरण की 95वी बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं 96वी बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:—

विषय कमांक 1 :—

(अ) <u>वित्तीय वर्ष 2018—19 के अनुमानित आय—वास्तविक व्यय का अनुमोदन</u>
(ब) <u>वित्तीय वर्ष 2019—20 के आय—व्यय का अनुमानित प्रस्ताव</u>

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 2 :— **शमन शुल्क के अवस्थापना निधि में प्रतिशत परिवर्तन के सम्बन्ध में**

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्राधिकरण की 93 वी बोर्ड बैठक के विषय कमांक 02 में शमन शुल्क से प्राप्त आय का 85 प्रतिशत अवस्थापना अंश एवं 15 प्रतिशत अंश प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाये तथा प्राधिकरण अंश में किसी परियोजना विशेष के कारण 15 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता हो तो इस हेतु विशेष अनुमति पृथक से प्राप्त कर ली जाये वर्तमान में सातवें वेतनमान के एरियर हेतु एवं रिवर फन्ट के परियोजना हेतु अतिरिक्त पदो पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के भुगतान पर होने वाले व्यय को देखते हुए शमन शुल्क से प्राप्त आय का 80 प्रतिशत अवस्थापना अंश एवं 20 प्रतिशत अंश प्राधिकरण में हस्तान्तरित किया जाये।

विषय कमांक 3:— **उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) में निहित मानकों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में**

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (संशोधन 2015) को परिचालन के माध्यम से अंगीकृत कर लिया गया है। अतः प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से संज्ञान लिया गया।

विषय कमांक 4:— **भू—उपविभाजन शुल्क के सम्बन्ध में ।**

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 5 :– भवन का पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात भवन निर्माण में किसी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 6 :– मास्टर प्लान–2025 (संशोधित) में आवेदकों की ग्राम सेवलाकला में स्थित भूमि में प्रस्तावित मार्ग संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 7 :– भूमि खसरा सं0 496क, ख, कुल रकबा 332.00 वर्गमीटर ग्राम किरसाली देहरादून का भू–उपयोग कृषि भूमि से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 8 :– ग्राम मालसी के विभिन्न खसरा नम्बरों के देहरादून महायोजना–2025 की विसंगतियों का निराकरण करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन खसरा नम्बरों में वन विभाग का अनापत्ति प्राप्त हो चुका है, उनका प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 9 :– मेहरे का गांव देहरादून में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु न्यूनतम मानक क्षेत्रफल में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आई0आर0सी0 के मानको के अनुसार परिभाषित अरबन एरिया के मानक भी उत्तराखण्ड भवन उपविधि में लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 10 :– भूमि सम्पत्ति संख्या 111/2 राजपुर रोड देहरादून में स्थित भू–खण्ड में प्रस्त गेस्ट हाउस हेतु विद्यमान सड़क के मार्गाधिकार में शिथिलता प्रदान किये जा सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया भू–स्वामित्व सम्बन्धी विवाद है। इसलिए इस प्रकरण को इस बैठक में Drop कि जाता है।

विषय कमांक 11 :– ओ0टी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत आवेदित नर्सिंग होम के मानचित्र में पहुँच मार्ग शिथिलीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया भू–स्वामित्व सम्बन्धी जॉच कर प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 12 :– सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल की पहुँचमार्ग की चौड़ाई में दी गयी शिथिलता सम्बन्ध में शासनादेश संख्या शासन के पत्र संख्या 1115/v/आ0– (आ0)/2014 दिनांक 21.10.2014 का पुनः अवलोकनार्थ तथा नव भवन हेतु मा की चौड़ाई में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ता शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 13 :– आवासीय भवन को नर्सरी स्कूल के परिवर्तित करने हेतु भवन एवं विकार उपविधि/विनियमन 2011 संशोधन 2015 में छूट के सन्दर्भ में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को इस शर्त के साथ सन्दर्भित किया जाये कि अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी तथा नर्सरी स्कूल से ऊपर उच्चीकृत नही किया जायेगा।

विषय कमांक 14 :– महायोजना 2005–2025 में ग्राम डांडा नूरीवाला में 24.0 मीटर प्रस्तावित महायोजना मार्ग के त्रुटिपूर्ण अंकन के संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांक 15 :– संस्था द्वारा स्कूल से सम्बन्धित भूमि का महायोजना में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांक 16:– श्री आशीष सेमवाल, पुनर्नवा योगफाउण्डेशन, मौजा भितरली परगना पछवादून देहरादून में भूमि ख0नं0 1495क, 1495ख, 1496, 1497, 1498क पुराना ख0 नं0 717, 719, 720, 721, 722, 723, 724, कुल रकबा 3.1510 है0 भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया।

विषय कमांक 17:– अवैध प्लाटिंग के प्रभावी नियन्त्रण हेतु दण्ड शुल्क आरोपित करने के सम्बन्ध में
प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय कमांक 18 :– गत बोर्ड बैठक के अनुपूरक बिषय कमांक 5 पर बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में महायोजना में दर्शित भू–उपयोग स्थित ग्राम तरला नागल परगना परवादून तहसील व जिला देहरादून के भू–उपयोग मनोरंजन से आवासीय में किये जाने के सम्बन्ध में समिति की संयुक्त आख्या के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत है।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लेया गया कि प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 19:– आमवाला तरला आवासीय योजना में निर्मित आवासों की विक्री के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आई0एस0बी0टी0 के एच0आई0जी0 फलैट्स के विकय प्रस्ताव के अनुरूप ही आमवाला तरला स्थित आलयम आवासीय योजना के आवासो की बिकी हेतु एक Expression of Interest आमंत्रित कर लिया जाये तदोपरान्त अन्तिम निर्णय हेतु अध्यक्ष, प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।

विषय कमांक 20:– मसूरी–देहरादून विकास क्षेत्र के अन्तर्गत फुटहिल का चिन्हीकरण।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 21 :– स्वीकृत/शमनित मानचित्रों के शुल्क जमा कराये जाने हेतु समयावधि निर्धारण के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 22 :– एल0आई0जी0 ट्रांसपोर्टनगर योजना को आवासीय परियोजना को **Student Housing** हेतु परिवर्तित करने के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी एवं ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भवनों को सुरक्षा दीवार के माध्यम से पृथक–पृथक भी किया जाये।

विषय कमांक 23:– स्वीकृत ले–आउट में भू–स्वामी द्वारा अपने भूखण्ड में जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार अनुमन्य गतिविधि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तदानुसार प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय क्रमांक 24 :– प्राधिकरण में विभिन्न निर्माण कार्य एवं परियोजनाओं हेतु तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एव निर्माण कार्य सम्बन्धी, ठेके एवं टेण्डर हेतु विभिन्न स्तर पर अधिकारों के प्रतिनिधायन हेतु प्रावधानों के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त TAC हेतु स्वीकृति प्रदान की गई तथा अन्य बिन्दुओं का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 25:– उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या–55 (1)/**XXVII** (7)/18–50 (14) 2017 दिनांक 15–2–19 के अनुसार मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित/संशोधित के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 26 :— प्राधिकरण में संविदा / कान्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश एवं अर्जित अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सम्यक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा राज्य के नियमों के आलोक में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

विषय कमांक 27 :— प्राधिकरण में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से 11 माह के कान्ट्रैक्ट पर एक मार्केटिंग प्रोफेशनल रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 28 :— मानचित्र पत्रावली संख्या सी0 सी0 197/18–19 श्री नमन गुप्ता पुत्र श्री राम निवास गुप्ता व अक्षित बंसलपुत्र ऋषि बंसल के द्वारा खसरा संख्या 1620 क, 1620ख ,1621 मीन, 1662 ख, 1622 का 1623 ख मौजा अजबपुर कला परवादून देहरादून पर देवभूमि होटल एव रिर्सोट हेतु होटल के शमन मानचित्र पत्रावली स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 29 :— मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0279/18–19 श्री दिग्विजय सिंह नेगी एवं श्री विश्वविजय नेगी पुत्रगण स्व0 श्री मनमोहन सिंह नेगी द्वारा खसरा नम्बर 189क ग्राम मालसी परगना केन्द्रीय दून देहरादून पर वैडिंग प्वाइंट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा कर लिया जाये एवं उपयुक्त पाये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 30 :— मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0003/19–20 श्री त्रिलोक चन्द सेमवाल पुत्र श्री हरीमणी सेमवाल व श्रीमती लीला देवी पत्नि श्री हरीमणी सेमवाल द्वारा खसरा नम्बर 2064क, 2064ख (पुराना खसरानम्बर 1152,1153) मौजा अजबपुर कला परगना सैन्ट्रल दून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्रम नियोजक द्वारा कर लिया जाये एवं आख्या अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय कमांक 31 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0305/18–19 श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा खसरानम्बर 07 ग्राम मक्कावाला (मसूरी रोड) देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से इस शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गयी कि आवेदक से इस इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि आवेदक मास्टर प्लान रोड के अनुसार मार्गाधिकार उपलब्ध करायेंगे।

विषय कमांक 32 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0254/18–19 श्रीमती विजय लक्ष्मी डोभाल एवं श्रीमती राधिका डोभाल खसरानम्बर 1560 मौजा रायपुर परगना परवादून देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलिंग स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर एवं ग्रम नियोजक द्वारा कर लिया जाये एवं आख्या अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायें ।

विषय कमांक 33 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0312/18–19 मैसर्स आर.एम.आर. हॉस्पिटिलिटीज द्वारा श्री मुकेश जैन व अन्य खसरानम्बर 153घ,153ख, 153ग, 148,149,150 मौजा कुँआवाला हरिद्वार रोड़ देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय कमांक 34 :– मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0077/14–15आरई–8 श्रीमती राकेश धवन पत्नि श्री विजय कुमार धवन द्वारा खसरा नम्बर 69घ & 80क, 80ख सम्पत्ति संख्या – 178 ग्राम सिनौला मसूरी डायर्वजन रोड (मसूरी बाईपास रोड) जिला देहरादून पर होटल मानचित्र के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण की पुनः जॉच कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 35 :– गत बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुपालन में स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट के स मानचित्र पत्रावली संख्या–सी–0196/18–19 श्रीमती अर्चना बोहरा व अन्य द्व खसरानम्बर 1109क मौजा जाखन कैनाल रोड देहरादून पर पेट्रोल पम्प (फिलि स्टेशन) निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध मेंप्रस्तुतहै।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय कमांक 36 :– इंदिरापुरम कालोनी फेज–1 के ले–आउटप्लान में भवन संख्या 117 एच0आई0जी से 130 एच0आई0जी0 तक को आवासीय से व्यवसायिक में संशोधन के सम्बन्ध में

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्णय के आलोक में विधिक राय प्राप्त क आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुपूरक

विषय कमांक 1 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्टनगर फेस–2 एल0आई0 एवं आलयम आवासीय योजना में एच0आई0जी0,एम0आई0जी0 तथा एल0आई0जी0 फ्लैटों के सापेक्ष विपणन हेतु कमीशन पुनः निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक विशेषज्ञ (प्रोफेशनल) रख लिया जायें । यदि अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं होती है तो अगली बोर्ड में प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जायें ।

विषय कमांक 2 :– देहरादून महायोजना में **High Rise Building Zone** को चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि High Rise Building Zone को चिन्हित किये जाने से पूर्व एक संयुक्त टीम अन्य शहर का भ्रमण भी कर ले कि वहाँ इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है उसके पश्चात् प्रस्ताव अग्रिम बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 3 :– भूखण्ड पर स्थित/राजस्व अभिलेखों में दर्ज जल के प्राकृतिक प्रवाह/ना सम्बन्ध में अनापति लिये जाने हेतु।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की ग

विषय कमांक 4 :– निर्माणो के बार–बार शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव शास सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय कमांक 5 :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ट्रान्सपोर्ट नगर फेस–2 एवं आ आवासीय योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत पंजीकृत अ लाभार्थियों को प्राधिकरण की धौलास आवासीय योजना में प्राथमिकता दिये के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त/अध्यक्ष,
गढ़वाल मण्डल/मसूरी देहरादून
विकास प्राधिकरण, देहरादून।